

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
॥ कार्यालय आदेश ॥

का० आ० सं०-5/श्रम स्था०-(2)-24/2008/ पटना, दिनांक-

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा-4 (1) एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-17903, दिनांक-29.12.2014 तथा महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के पत्रांक-WCDC/1526/23, दिनांक-16.06.2023 के आलोक में श्रम संसाधन विभाग (सरकार पक्ष), बिहार, पटना (संलग्न कार्यालय/निदेशालय छोड़कर) में कार्यरत महिला कर्मियों के साथ कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम एवं इस संबंध में प्राप्त परिवादों की सुनवायी हेतु आन्तरिक परिवाद समिति/शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन निम्नरूपेण किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	पद	मोबाइल नं०	ई-मेल
1	श्रीमती कुमारी शिशिर भारती, उप सचिव	अध्यक्ष	9430141804	sbharti1770@gmail.com
2	श्री सत्येन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	सदस्य	8544025245	ssinghclimax@gmail.com
3	श्रीमती आरती कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	सदस्य	7352688014	aartiku813@gmail.com
4	सुश्री रेनु कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	सदस्य	7079472733	renukr841244@gmail.com
5	श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, अधिवक्ता	बाह्य सदस्य	9234217342	sinhapraveen023@gmail.com

2. अधिनियम की धारा 4 (3) के प्रावधानानुसार आंतरिक परिवाद समिति का कार्यकाल मनोनयन की तिथि से तीन वर्ष से अधिक का नहीं होगा। गैर सरकारी संगठन या समूह के सदस्यों को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अधिनियम-2013 की धारा-4 (4) के अनुसार निर्धारित दर पर शुल्क एवं भत्ते नियोक्ता द्वारा देय होगा।

3. उक्त समिति प्रत्येक माह में एक बार अथवा आवश्यकतानुसार बैठक करेगी तथा विप्रावधानों के आलोक में स्थिति की समीक्षा कर कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सही कदम उठायेगी। साथ ही समिति सभी कर्मियों खासकर महिला कर्मियों को अधिनियम के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने का भी कार्य करेगी एवं समय-समय पर महिला एवं बाल विकास निगम तथा अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यशाला/बैठक/प्रशिक्षण आदि में भी भाग ले सकेगी।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
5. उक्त प्रस्ताव में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

हो/-

(अशोक राम)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-5/श्रम स्था-0-(2)-24/2008/ पटना-01, दिनांक-

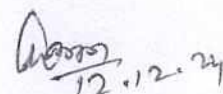
प्रतिलिपि :- सदस्य, राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिका निवारण समिति, पटना/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, द्वितीय तल, इंदिरा भवन, बेली रोड, बिहार, पटना/निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, दारोगा राय पथ, रोड नं०-02, आर० ब्लॉक पटना/अवर सचिव, साम प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

हो/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-5/श्रम स्था-0-(2)-24/20084324...../ पटना-01, दिनांक-13/12/24

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव/अपर सचिव/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन प्रशिक्षण (दोनों पक्ष), बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार, पटना/सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार पटना/कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना/सचिव के अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप-सचिव/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष)/उक्त सभी नार्ति पदाधिकारी/कर्मचारी/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


12.12.24

सरकार के अवर सचिव